इकाई 2 संघ की राजभाषा नीति और अनुवाद

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 राजभाषा से तात्पर्य

2.3 बहुभाषिक समाज में राजभाषा की स्थिति

2.4 राजभाषा व्यवहार के क्षेत्र

- 2.4.1 विधायिका में राजभाषा
- 2.4.2 कार्यपालिका में राजभाषा
- 2.4.3 न्यायपालिका में राजभाषा

2.5 स्वतंत्र भारत में राजभाषा का प्रश्न और राजभाषा हिंदी

- 2.5.1 संविधान सभा का निर्णय
- 2.5.2 संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था

2.6 सांविधानिक व्यवस्था के आधार पर की गई कार्रवाई

- 2.6.1 राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन
- 2.6.2 राष्ट्रपति का आदेश, 1960
- 2.6.3 राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

2.7 वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई व्यवस्था

- 2.7.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967)
- 2.7.2 राजभाषा संकल्प, 1968
- 2.7.3 राजभाषा नियम, 1976

2.8 सारांश

2.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

2.0 उद्देश्य

यह इकाई संघ की राजभाषा नीति से संबंधित है जिसमें राजभाषा नीति की सांविधानिक और वैधानिक व्यवस्था का विवरण दिया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- यह बता सकेंगे कि राजभाषा का प्रयोग किन–किन कार्यों के लिए किया जाता है;
- राजभाषा व्यवहार के क्षेत्र और स्वतंत्र भारत में राजभाषा के प्रश्न पर चर्चा कर सकेंगे;
- बहुभाषिक समाज में राजभाषा की स्थिति का परिचय दे सकेंगे; और
- राजभाषा हिंदी को सांविधानिक और वैधानिक स्थिति को समझा सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

ब्रिटिश शासनकाल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। शासन का सारा कार्य अंग्रेजी में ही होता था। केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच पत्र व्यवहार भी अंग्रेजी में ही होता था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह अनुभव किया गया कि शासन का सारा कार्य देश की अपनी भाषा में हो। अतः अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया।

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हिंदी को ही राजभाषा बनाने का निर्णय क्यों लिया गया, यह प्रश्न स्वाभाविक है। भारत एक बहुभाषी देश है। वास्तव में बहुभाषी भारत में हिंदी काफी समय से संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। देश की अन्य भाषाओं की तुलना में उसे बोलने और समझने वालों की संख्या अधिक है। यह विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। इसलिए ही इसे भारत की राजभाषा बनाया गया।

अंग्रेजी शासनकाल में राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी। आजादी के बाद महसूस किया गया कि स्वतंत्र राष्ट्र का कामकाज उसकी अपनी भाषा में चलना चाहिए इसलिए 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ भारतीय संविधान लागू हुआ और हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया गया। परंतु ब्रिटिशकाल से चली आ रही राजकाज की भाषा अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू कर देना संभव नहीं था। इसलिए अगले पंद्रह वर्षों की अवधि तक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखने की सांविधानिक व्यवस्था की गई। इस इकाई में हम राजभाषा तथा संविधान में हिंदी के बारे में की गई व्यवस्था और उसके अनुरूप बनाए गए राजभाषा अधिनियम आदि की चर्चा करेंगे।

राजभाषा अधिनियम बन जाने के पश्चात् प्रश्न उठता है इसके कार्यान्वयन का। प्रस्तुत इकाई में हम यह भी चर्चा करेंगे कि राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्था को लागू करने के विषय में क्या–क्या कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में भारतीय संसद और राजभाषा विभाग ने क्या–क्या संकल्प, नियम और आदेश जारी किए हैं तथा उनका अनुपालन किस तरह किया जाता है। आइए, सबसे पहले यह देखें कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है।

2.2 राजभाषा से तात्पर्य

राजभाषा से तात्पर्य है – राजकाज की भाषा अर्थात् वह भाषा जिसका प्रयोग देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए किया जाता हो। इस तरह यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र व्यवहार, प्रशासन, न्याय–व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए होता है। राजभाषा के प्रयोग के तीन क्षेत्र है – (क) विधायिका, (ख) कार्यपालिका, (ग) न्यायपालिका

किसी भी देश की राजभाषा वह भाषा बनाई जाती है जिसे वहाँ के अधिक से अधिक लोग बोलते हों तथा जो काफी समय से संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती रही हो। यही कारण था कि हमारे देश में स्वाधीनता के पश्चात् हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि बहुभाषी भारत में हिदी काफी समय से संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती चली आ रही है। इसके अलावा, देश की अन्य भाषाओं की तुलना में उसे बोलने और समझने वालों की संख्या अधिक है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत

की राजभाषा अंग्रेजी थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही नेताओं ने इस संबंध में काफी विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि देश की सभ्यता, संस्कृति की उन्नति तथा शिक्षा और विज्ञान की प्रगति उसकी अपनी भाषा के माध्यम से हो सकती है। इसीलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था क्योंकि इसी के माध्यम से राष्ट्र को एकसूत्र में बाँधा जा सकता था। अब आप समझ गए होंगे कि राजभाषा क्या है तथा हमारे देश की राजभाषा हिंदी क्यों है।

2.3 बहुभाषिक समाज में राजभाषा की स्थिति

भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है। यहाँ अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं जैसे कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, असम में असमी, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आदि। अकेले उत्तर प्रदेश में ही एक से ज्यादा भाषा और बोलियाँ प्रचलित है। जैसे, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, कन्नौजी आदि। ऐसे में किसी प्रदेश की प्रमुख भाषा वहाँ के राजकाज के लिए काम आ सकती है लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क कायम करने और राजकाज करने के लिए केंद्र सरकार को एक ऐसी राजभाषा अपेक्षित है जो विभिन्न भाषायी राज्यों के साथ प्रशासनिक संपर्क में काम आ सके। इस प्रकार देखा जाए तो राजभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में बहुभाषिक समाज में तालमेल बिठाने का कार्य करती है। भाषायी तालमेल होने पर राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होती है।

वस्तुतः हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने का एक आधार यही है कि यह बहुभाषी समाज में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले व्यक्तियों का संपर्क सूत्र है।

2.4 राजभाषा व्यवहार के क्षेत्र

आइए, अब हम देखें कि हमारे देश में संघ और राज्यों के कार्यों का बँटवारा किस प्रकार का है और इन कार्यों के संदर्भ में देश की भाषा नीति देश की संघीय व्यवस्था को किस तरह प्रतिबिंबित करती है। राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं :

		संघ स्तर पर	राज्य स्तर पर
1.	विधायिका	संसद (राज्य सभा और लोक सभा)	विधान मंडल (विधान सभा और विधान परिषद, जहाँ भी हों)
2.	कार्यपालिका	केंद्र सरकार अन्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएँ	राज्य सरकार के कार्यालय मंडल तथा जिला स्तर प्रशासन, राज्य स्तर के उपक्रम आदि
3.	न्यायपालिका	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय जिला न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय

राजभाषा का प्रयोग इन्हीं तीन प्रशासन के अंगों में होता है।

2.4.1 विधायिका में राजभाषा

विधायिका में दो ही निकाय आते हैं : संघ स्तर पर संसद के दोनों सदन और राज्य में विधान मंडल के दो (या कहीं-कहीं सिर्फ एक) सदन। इनमें सांसद/विधायक

चुनकर आते हैं। इनमें से कई सदस्य अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हो सकते हैं। ऐसे सदस्यों के लिए व्यवस्था की गई है कि यदि वे हिंदी या अंग्रेजी में विचार व्यक्त न कर सकें तो राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष की अनुज्ञा से अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधन करें। परंतु यह भी व्यवस्था है कि अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जाएगा।

2.4.2 कार्यपालिका में राजभाषा

कार्यपालिका क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत है। मंत्रालय, विभाग, देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित केंद्र सरकार के कार्यालय, पूर्णतः सरकार के अनुदान से स्थापित स्वायत्त संस्थाएँ, उपक्रम कंपनी आदि कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इन सब संस्थाओं में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की स्थापना की गई है जिसका कर्त्तव्य संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग आदि की सिफारिश करना है। राज्य स्तर पर वहाँ की अपनी भाषाएँ राजभाषा के रूप में इस्तेमाल होती हैं।

2.4.3 न्यायपालिका में राजभाषा

न्यायपालिका में राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः दो क्षेत्रों में किया जाता है – कानून तथा उसके अनुरूप की जाने वाली कार्यवाही अर्थात् कानून, नियम, अध्यादेश, आदेश, विनिमय, उपविधियाँ आदि और उनके आधार पर किसी मामले में की गई कार्रवाई और लिए गए निर्णय आदि।

इन तीनों क्षेत्रों में प्रयोग के आधार पर वस्तुतः पूरे समाज की अभिव्यक्ति का प्रश्न भाषा से जुड़ा होता है। कोई भी भाषा जब राजभाषा बनती है तब वह सरकारी कामकाज से जुड़ने के साथ–साथ शिक्षा और रोजगार से भी जुड़ती है। इसी तरह उसका प्रसार होता है। शिक्षा आदि के क्षेत्र में राजभाषा का फैलाव होने पर उसका अधिक से अधिक विकास होता है क्योंकि तब वह अंतरराष्ट्रीय तौर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ती है। अतः स्वाभाविक रूप से राजभाषा मीडिया से भी जुड़ जाती है। इस तरह किसी देश की राजभाषा स्वभावतः ही वहाँ की शिक्षा का माध्यम और पत्रकारिता का माध्यम होती है।

2.5 स्वतंत्र भारत में राजभाषा का प्रश्न और राजभाषा हिंदी

आइए, स्वतंत्रता पूर्व के तथा स्वतंत्र भारत में राजभाषा की स्थिति पर विचार करें। सरकारी कामकाज की भाषा शासक ही तय करता है। यही कारण है कि मुगल शासन में राजभाषा फारसी थी और अंग्रेजों के समय में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी थी क्योंकि उन्हें उसी के माध्यम से काम करने में सुविधा थी। अपने कानून भी उन्होंने अंग्रेजी में ही बनाए थे।

यद्यपि राजभाषा अंग्रेजी थी परंतु, साधारण जनता से बातचीत करने या आदेश आदि निकालने के लिए अंग्रेजों ने अपने कर्मचारियों को हिंदी सीखने का प्रावधान किया ताकि उन्हें जनता के बीच की गतिविधियों की प्रथमतः जानकारी रहे। निचली अदालतों से निकलने वाले आदेशों की भाषा उर्दू होती थी।

1947 में भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् महसूस किया गया कि स्वतंत्र देश की अपनी राजभाषा होनी चाहिए अतः भारत में शासन के लिए राजभाषा का प्रश्न उठा; एक ऐसी राजभाषा का जिससे प्रशासनिक तौर पर पूरा देश जुड़ा रह सके। संविधान द्वारा भारत के गणराज्य होने की घोषणा की गई तथा हिंदी को केंद्र या संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया।

आइए, अब हम यह देखें कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में क्या–क्या व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था का स्वरूप क्या है तथा इसे किस प्रकार लागू किया गया है।

2.5.1 संविधान सभा का निर्णय

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने काफी बहस के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र स्थापित हुआ और भारतीय संविधान लागू हुआ। इस गणतंत्र ने देश के शासन के लिए संविधान स्वीकृत किया था जिसे भारतीय संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में भी हिंदी को कामकाज की भाषा स्वीकार कर लिया गया। परंतु हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग एकदम शुरू कर देना संभव नहीं था। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन अंग्रेजी में होने के कारण सारे कानून अंग्रेजी में थे और सारा प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य अंग्रेजी में ही था। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही था। ऐसी स्थिति में भाषा को एकदम बदलने से असुविधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए अगले पंद्रह वर्षों के लिए राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। साथ ही साथ संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कानून के माध्यम से कर सकती है। यानी हिंदी राजभाषा स्वीकार तो किया गया लेकिन उसे राजभाषा के रूप में लागू करने की तारीख 1965 स्वीकार की गई। संविधान के इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत 1963 में संसद में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ जिसका तमिलनाडु में व्यापक विरोध होने के कारण उसे 1967 में संशोधित किया गया।

2.5.2 संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था

राजभाषा संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343-351 में दिए गए हैं। इसके मुख्य अंशों को नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

अध्याय 1 – संघ की भाषा

343. संघ की राजभाषा

1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

2) *खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :*

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3) *इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा –*

क) अंग्रेजी भाषा का, या

ख) अंकों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

इस तरह देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकृत हुई है। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय अंकों के स्थान पर उनके अंतरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा अर्थात्, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ ९ की बजाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा जाएगा।

अध्याय 2 – प्रादेशिक भाषाएँ

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ: *अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :*

परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

इस व्यवस्था के अनुसार, राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा या राजभाषाएँ स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए, इस व्यवस्था के द्वारा ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, जो कर्नाटक की सीमा से लगते है, कन्नड़ को किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में उड़िया या तेलुगु को कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा *– संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :*

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था के अनुसार, दो राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र-व्यवहार उसी भाषा में होगा जो संघ सरकार के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में प्राधिकृत हो।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध – यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाएँ।

इस तरह, किसी राज्य के किसी विशेष जन समुदाय की भाषा को शासकीय मान्यता दी जा सकती है।

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा – *(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक*

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी

(ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के अधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) *खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।*

इस व्यवस्था के अनुसार, उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी तथा संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधान

मंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत विधेयकों या उनके प्रस्तावित संशोधनों की भाषा अंग्रेजी होगी। साथ ही संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित सभी कानूनों और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए सभी अध्यादेशों और सभी आधिकारिक आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे।

किंतु यह व्यवस्था स्थायी न होकर संक्रमण/कालीन व्यवस्था है क्योंकि यह तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून बना कर अन्य कोई व्यवस्था न करे।

राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल हिंदी या राज्य की राजभाषा का इस्तेमाल उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी में ही होंगे।

राज्यों के विधान मंडल विधेयकों, कानूनों, अध्यादेशों आदि के लिए अंग्रेजी के बजाए किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं किंतु राज्यपाल के प्राधिकार से गजट में प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद ही उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश *– संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची[*] में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।*

उपर्युक्त निदेश में हिंदी के विकास और प्रसार की जिम्मेदारी संघ सरकार को सौंपी गई है। इसमें चार बातें प्रमुख हैं :

क) हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति का वाहक बनाना

ख) आठवीं अनुसूची की भाषाओं की शैली, रूप और पदावली का हिंदी में समावेश

ग) हिंदी में मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण; और

घ) ऊपर 'ख' और 'ग' की स्थिति में भाषा की मूल प्रकृति को कायम रखना।

आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हिंदी के विकास और प्रसार के प्रयास का

---

* स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् जब भारतीय संविधान बना तो देश की प्रमुख भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्रदान की गई। इस सूची की भाषाओं की संख्या में समय-समय पर वृद्धि होती रही है। इस समय आठवीं सूची की भाषाओं की संख्या 22 है।

1.	असमिया	7.	मलयालम	13.	तमिल	19.	मैथिली
2.	बांग्ला	8.	मराठी	14.	तेलुगु	20.	संथाली
3.	गुजराती	9.	उड़िया	15.	उर्दू	21.	बोडो
4.	हिंदी	10.	पंजाबी	16.	मणिपुरी	22	डोगरी
5.	कन्नड़	11.	संस्कृत	17.	कोंकणी		
6.	कश्मीरी	12.	सिंधी	18.	नेपाली		

उद्देश्य क्या है? इसकी जरूरत क्यों है? आप जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं, जातियों और धर्मों का देश है। यहाँ की संस्कृति कई संस्कृतियों के मेल से बनी है। इसलिए भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति है। जब हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक ही है कि इससे हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप का विकास होगा और वह अंततः राजभाषा के इतर राष्ट्रभाषा का दायित्व वहन करने में भी अधिकाधिक सक्षम होगी।

हिंदी के इसी स्वरूप के विकास के संबंध में आगे कहा गया है कि हिंदी भाषा की अपनी मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए उसमें अन्य भारतीय भाषाओं (संविधान की आठवीं सूची में दी गई भाषाओं) की शैलियों, रूपों और अभिव्यक्तियों का समावेश किया जाए। इस तरह भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता स्थापित करने और उनके समान तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया जाएँ। आप सोच सकते हैं कि यह समन्वय किस प्रकार हो सकता है? भारत की विभिन्न भाषाओं का आपसी रिश्ता बहनों का है। उनमें से अधिकांश का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। इसीलिए ऊपर से अलग–अलग दिखाई देने पर भी उनमें घनिष्ठ समानता उसी तरह विद्यमान है जिस तरह भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता। अतः इन भाषाओं के तत्वों के हिंदी में समावेश से भाषिक एकता का विकास हो सकेगा। उसके बाद कहा गया है कि हिंदी के शब्द-भंडार को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाएँ और गौण रूप से अन्य भाषाओं से। शब्द भंडार के विस्तार की यह व्यवस्था भी हिंदी के राष्ट्रभाषा या अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में विकास को लक्ष्य में रख कर की गई है।

120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा *— (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :*

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) *जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेजी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।*

इस व्यवस्था के अनुसार संसद में कार्य की भाषा अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है। किंतु जो सदस्य अंग्रेजी या हिंदी में अपने विचार व्यक्त न कर सकता हो उसे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है।

संविधान की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में से किसी का भी प्रयोग करने की व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। इस अवधि की समाप्ति पर अर्थात् 26 जनवरी, 1965 के बाद संसद के कार्य के लिए केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होना था। किंतु बाद में संसद ने कानून बनाकर यह व्यवस्था की कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखा जाए।

2.6 सांविधानिक व्यवस्था के आधार पर की गई कार्रवाई

आइए, अब हम देखें कि संविधान में दी गई राजभाषा संबंधी व्यवस्था पर क्या कार्रवाई की गई तथा किन समितियों का गठन किया गया।

2.6.1 राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन

संविधान के अनुच्छेद 344(1) के प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रपति ने आदेश देकर सन् 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने कई बैठकों में सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं से भेंट की और अपना प्रतिवेदन जुलाई 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों की आवश्यकता पर जोर दिया था :

1. माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का अनिवार्य शिक्षण
2. उच्च स्तर पर हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली
3. उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम को प्रोत्साहन
4. प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए किसी स्तर तक हिंदी का अनिवार्य ज्ञान
5. सेवा परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न-पत्र
6. देवनागरी देश की सब भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि होगी।

आयोग ने देश की बहुभाषिक प्रकृति का ध्यान रखते हुए विधायी क्षेत्र और न्यायालयों की कार्रवाइयों में तथा विभागों/संगठनों द्वारा जनता के संपर्क के लिए क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया।

आयोग की इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में **संसदीय राजभाषा समिति** गठित की गई। इस समिति ने 8 फरवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। इसमें आयोग के अधिकांश सुझावों को स्वीकार करने की सलाह राष्ट्रपति को दी गई थी। साथ ही 1965 के बाद भी अंग्रेजी के चलते रहने का सुझाव दिया था।

2.6.2 राष्ट्रपति का आदेश, 1960

संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के अनुसार समिति ने आयोग की सिफारिशों की परीक्षा की और उन पर राय का प्रतिवदेन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।

राजभाषा आयोग की सिफारिशों और संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 में आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि :

1. हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए।
2. शिक्षा मंत्रालय सांविधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों (नियम पुस्तकों) और कार्यविधि साहित्य का अनुवाद अपने हाथ में ले।
3. एक मानक विधि शब्दकोश तैयार करने और हिंदी में विधि के पुनः अधिनियम के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का स्थायी आयोग स्थापित किया जाए।

4. सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

5. शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिंदी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वह कैसी चल रही है। शिक्षा मंत्रालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषाविज्ञान, भाषाशास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक कार्यवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए तथा अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिंदी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

2.6.3 राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

राष्ट्रपति के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः निम्नलिखित संस्थाएँ स्थापित की गईं :

1. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग** की स्थापना 1961 में हुई। इसने शब्दावली निर्माण के सिद्धांत तय किए तथा विविध विषयों की विशेषज्ञ सलाहकार समितियों की और भाषावैज्ञानिकों की सहायता से शब्दावली निर्मित की तथा परिभाषा कोश तैयार किए।

2. **केंद्रीय हिंदी निदेशालय** की स्थापना सन् 1960 में हुई। हिंदी प्रचार-प्रसार और विकास के कार्य इस संस्था को सौंपे गए। आरंभ में विविध प्रकार के प्रशासनिक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का कार्य भी निदेशालय के पास था। बाद में इसे एक अन्य संस्था को सौंप दिया गया। आज यह हिंदी के विकास और प्रचार से संबंधित योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण, विज्ञानेतर कोश और विश्वकोश के निर्माण, पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि का कार्य करता है।

3. **केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो** की स्थापना 1971 में उस समय हुई जब राजभाषा संबंधी कार्य गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आ गया। असांविधिक स्वरूप के कार्यविधि साहित्य तथा मैनुअलों और फार्मों के अनुवाद का दायित्व ब्यूरो का है। इसके अतिरिक्त ब्यूरो केंद्र सरकार तथा उसके स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के हिंदी कर्मचारियों के लिए अनुवाद पाठ्यक्रम भी चलाता है।

4. **राजभाषा (विधायी) आयोग (खंड)** विधि मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसने अंग्रेजी-हिंदी विधि शब्दावली तैयार की है। इसके अतिरिक्त यह सांविधिक कागजात अर्थात् केंद्रीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि का हिंदी अनुवाद भी करता है।

5. **हिंदी शिक्षण योजना को हिंदीतर भाषी** सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए सन् 1952 में शुरू किया गया था। आरंभ में यह विभाग शिक्षा मंत्रालय के अधीन था किंतु सन् 1955 में इसे गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। यह हिंदी के तीन स्तरों के पाठ्यक्रम चलाता है – (1) प्रबोध (2) प्राज्ञ (3) प्रवीण।

6. **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान** की स्थापना सन् 1985 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन की गई। इसका कार्य अधिकारी स्तर के कर्मचारीवृंद को हिंदी प्रशिक्षण देना है।

7. **केंद्रीय हिंदी संस्थान** वर्ष 1961 से हिंदी शिक्षण कार्य में संलग्न है। हिंदीतर भाषियों तथा विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण, शिक्षण प्रविधियों का विकास करने तथा तद्नुकूल शिक्षण सामग्री निर्माण के अतिरिक्त यह हिंदी भाषा और साहित्य में अनुसंधान कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए सेवा–माध्यम के हिंदी पाठ्यक्रम चलाने और हिंदी शिक्षण संबंधी शोध सामग्री का प्रकाशन का कार्य भी कर रहा है। इसके केंद्र दिल्ली, हैदराबाद तथा गुवाहाटी में भी हैं।

8. **भारतीय भाषा संस्थान,** मैसूर 1969 से भारतीय भाषाओं के अध्यापन, अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी माध्यम से शिक्षण को सुग्राह्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन का कार्य हिंदी भाषी राज्यों की विभिन्न हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय करता है। इन पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन व्यय का वहन शिक्षा मंत्रालय हिंदी पाठ्य–पुस्तकें तैयार कराने के लिए केंद्र द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत करता है।

2.7 वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत की गई व्यवस्था

संविधानिक व्यवस्था के आधार पर स्थापित राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया।

2.7.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967)

राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। किंतु हिंदी भाषियों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू के आश्वासनों को कानूनी रूप देते हुए सन् 1967 में राजभाषा अधिनियम को संशोधित किया गया। इस इकाई के परिशिष्ट के रूप में हम राजभाषा अधिनियम का संशोधित रूप प्रस्तुत कर रहे है। यहाँ मूल अधिनियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं।

1. **राजभाषा अधिनियम की धारा 1** में यह बताया गया है कि :

   i) इस अधिनियम का नाम 'राजभाषा अधिनियम, 1963' होगा और इसकी धारा 3, 26 जनवरी 1965 से लागू होगी।

   ii) इस अधिनियम के शेष प्रावधान उस तारीख से लागू होंगे जिसे केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें निर्धारित की जा सकेंगी।

2. **राजभाषा अधिनियम की धारा 2** में 'नियत दिन' और 'हिंदी' की परिभाषा दी गई है :

   i) 'नियत दिन' से अभिप्राय उस दिन से है जिस दिन कोई उपबंध लागू होगा।

   ii) 'हिंदी' से अभिप्राय देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी से है।

3. **राजभाषा अधिनियम की धारा 3** में संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा रहने के बारे में यह बताया गया है कि:–

i) संविधान के लागू होने से पंद्रह वर्षों की समयावधि समाप्त हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी उस नियत दिन से ही प्रयोग में लाई जाती रहेगी जब संघ के उन सब सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी और संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी।

ii) संघ और ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्र–व्यवहार के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाएगी।

iii) जहाँ किसी ऐसे राज्य, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, के बीच पत्र–व्यवहार के प्रयोजनों के लिए हिंदी प्रयोग में लाई जाती है तो वहाँ हिंदी में ऐसे पत्र–व्यवहार के साथ–साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाएगा।

iv) इस अधिनियम की उपधारा 3 की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, को संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, के साथ अथवा किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्र–व्यवहार प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है तो ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्र–व्यवहार के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बाध्यकारी नहीं होगा।

v) जहाँ –

क) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय और दूसरे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के बीच;

ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले/नियंत्रणाधीन किसी निगम/कंपनी या उनके किसी कार्यालय के बीच;

ग) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले/नियंत्रणाधीन किसी निगम/कंपनी या उसके किसी कार्यालय ओर किसी अन्य ऐसे निगम/कंपनी/कार्यालय के बीच;

पत्र–व्यवहार के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती है वहाँ –

क) ऐसे पत्र–व्यवहार का अनुवाद तब तक अंग्रेजी या हिंदी में भी दिया जाएगा जब तक पूर्वोक्त मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/कंपनी के कर्मचारीगण हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, भले ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में कुछ भी कहा गया हो।

vi) केंद्रीय सरकार अथवा उसके किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अथवा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले/नियंत्रणाधीन किसी निगम/कंपनी या ऐसे किसी निगम/कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले/जारी किए जाने वाले –

1) संकल्पों,

2) साधारण आदेशों,

3) नियमों,

4) अधिसूचनाओं,

5) प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों,

6) संसद के किसी सदन के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों,

7) सरकारी कागजातों, और

8) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले/नियंत्रणाधीन किसी निगम/कंपनी द्वारा ऐसे निगम/कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित –

9) संविदाओं,

10) करारों,

11) निकाली गई अनुज्ञप्तियों,

12) अनुज्ञापत्रों,

13) सूचनाओं, और

14) निविदा–प्रारूपों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही प्रयोग में लाई जाएँगी, भले ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में कुछ भी कहा गया हो।

vii) केंद्रीय सरकार राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का प्रावधान कर सकती है जिन्हें संघ के सरकारी प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत किसी मंत्रालय/विभाग/अनुभाग/कार्यालय का कार्यकलाप शामिल है, के लिए प्रयोग में लाया जाना है।

viii) ऐसे नियम बनाते समय सरकारी कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा।

ix) इस प्रकार बनाए गए नियम विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी में प्रवीण हैं, वे प्रभावी ढंग से अपना काम कर सकें और यह भी ध्यान रखा जाए कि जो दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं हो उसका अहित नहीं हो।

x) ऐसे प्रावधान राजभाषा अधिनियम की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किए जाएँगे।

xi) राजभाषा अधिनियम की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में किए गए प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक उनमें दिए गए प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप

में नहीं अपनाया है, द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के बाद अंग्रेजी के प्रयोग की समाप्ति के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता है।

4. राजभाषा अधिनियम की धारा 4 में राजभाषा के सबंध में (संसदीय) समिति के बारे में यह बताया गया है कि :

i) जिस तारीख को इस अधिनियम की धारा 3 लागू होगी उससे दस वर्ष की समाप्ति के बाद राजभाषा के संबंध में एक (संसदीय) समिति का गठन किया जाएगा जिसके लिए संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तावित किया जाएगा और दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा।

ii) इस (संसदीय) समिति में 30 सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोकसभा तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे।

iii) (संसदीय) समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल अंतरणीय मत द्वारा किया जाएगा।

iv) इस (संसदीय) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे ओर उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

v) राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएँगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएँगे।

vi) इस रिपोर्ट पर राज्य सरकारों द्वारा यदि कोई विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति उन पर विचार करने के बाद समस्त रिपोर्ट अथवा उसके किसी भाग के अनुसार निदेश जारी कर सकेंगे। परंतु ऐसे जारी किए गए निदेश राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से असंगत नहीं होंगे।

5. राजभाषा अधिनियम की धारा 5 में केंद्रीय अधिनियम आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के बारे में यह बताया गया है कि :

i) नियत दिन (अर्थात 10 जनवरी 1965) को और उसके बाद सरकारी राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित होने वाले किसी केंद्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश अथवा संविधान या किसी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

ii) नियत दिन (अर्थात 10 जनवरी 1965) से ही उन सब विधेयकों, जो संसद के किसी भी सदन में रखे जाने हों और उन सभी संशोधनों, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, के अंग्रेजी के प्राधिकृत पाठ के साथ–साथ उनका हिंदी अनुवाद भी होगा जो इस तरह से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएँ

6. राजभाषा अधिनियम की धारा 6 में कतिपय मामलों में राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के बारे में बताया गया है कि :

i) जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग

के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा निर्धारित की है वहाँ, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के सरकारी राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके बाद प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. राजभाषा अधिनियम की धारा 7 में उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग के बारे में यह बताया गया है कि :

i) नियत दिन से ही या उसके बाद किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ–साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से जारी किया गया अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी होगा।

8. राजभाषा अधिनियम की धारा 8 में (राजभाषा) नियम बनाने की शक्ति के बारे में यह बताया गया है कि :

i) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए (राजभाषा) नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

ii) इस धारा 8 के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, इसे बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जब सत्र चल रहा हो, कुल मिलाकर तीन दिन की समयावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो समवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र, जिसमें वह ऐसे रखा हो, के या ठीक उसके बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदन उस नियम में किसी संशोधन के लिए सहमत हो जाएँ या दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात, यथास्थिति, वह नियम ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किंतु इस प्रकार कि ऐसा कोई संशोधन अथवा निष्प्रभावीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

9. राजभाषा अधिनियम की धारा 9 में कतिपय प्रावधानों के जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होने के बारे में यह बताया गया है कि :

i) राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 में किए गए प्रावधान जम्मू–कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे।

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 1965 के बाद केवल हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी। किंतु अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट तब तक बनी रहेगी जब तक कि हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने के लिए संकल्प न पारित कर दें और उन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के दोनों सदन इस संबंध में संकल्प पारित न कर दें। इस व्यवस्था के अनुसार आज हर कर्मचारी को अपना कामकाज हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में करने की छूट है। किंतु कुछ कामों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है। इसमें एक तरफ

पत्रादि हैं जिनमें पत्राचार तथा फाइलों का काम शामिल है तथा दूसरी तरफ सरकार की ओर से निकलने वाले आदेश और नियम आदि आम जनता के उपयोग के लिए हैं। आम जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई कि आम आदमी के उपयोग से सारे कागज पत्र द्विभाषी रूप में हों। इस बात का उल्लेख राजभाषा अधिनियम की उपधारा 3.3 में किया गया है।

2.7.2 राजभाषा संकल्प, 1968

राजभाषा अधिनियम (यथासंशोधित) 1963 लागू कर दिए जाने के बाद इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की ओर से व्यवस्था की गई। इस दिशा में पहला कदम था हिंदी के प्रसार, विकास और कार्यान्वयन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प का 18 जनवरी 1968 को राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशन। इस संकल्प में विभिन्न शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जाने और उसका कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और तय किया जाता है कि इस कार्यक्रम को किस सीमा तक लागू किया जाए। साथ ही हिंदी के साथ–साथ आठवीं सूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास कार्यक्रमों को तैयार किए जाने पर जोर दिया गया। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषा क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास किया गया। इस दिशा में यह संकल्प किया गया कि स्कूली स्तर पर छात्रों को तीन भाषाएँ पढ़ाई जाएँ – दो भारतीय भाषाएँ और अंग्रेजी। इसके अंतर्गत हिंदीतर क्षेत्र में प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी तथा अंग्रेजी और हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी और अंग्रेजी के साथ दक्षिणी भारत की किसी एक भाषा को पढ़ाने का संकल्प किया गया। इसके साथ–साथ संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक की अनिवार्य अपेक्षा तथा परीक्षा माध्यम के रूप में आठवीं सूची की भाषाओं तथा अंग्रेजी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा की व्यवस्था करने का संकल्प भी लिया गया। आपकी जानकारी के लिए इस इकाई के अंत में यह संकल्प परिशिष्ट में दिया गया है।

2.7.3 राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अधिनियम (यथासंशोधित) 1963 तथा संसद के राजभाषा संकल्प, 1968 के विषय में आप पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने की नीति भारत सरकार की रही है। इस नीति को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करना और इसका प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करना राजभाषा विभाग का दायित्व है।

राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्था को सरकारी कामकाज में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए राजभाषा नियम 1976 बनाए गए। नियम 2 के अनुसार, ये सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों पर (जिनमें केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण में, निगम या कंपनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित हैं) लागू होते हैं। केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में इनका पालन आवश्यक है। इस तरह, यह नियम सरकारी कामकाज में राजभाषा के इस्तेमाल के लिए हैं।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्रादि (i) हिंदी भाषी राज्यों का (जिन्हें 'क क्षेत्र' के राज्य कहा गया है) अर्थात् हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार,

उत्तर प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को; अथवा किसी अन्य कार्यालय को (केंद्रीय सरकार को कार्यालय से भिन्न); या किसी व्यक्ति को अनिवार्यतः हिंदी में ही भेजे जाएँगे और यदि किन्हीं असाधारण दशाओं में कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ-साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य है [नियम 3 (1)]।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि (i) पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हें 'ख क्षेत्र' के राज्य कहा गया है) अथवा (ii) उपर्युक्त क्षेत्र में स्थित किसी कार्यालय को (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न हो) सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ-साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य होगा। तथापि इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। [नियम 3 (2)]। अन्य क्षेत्रों (जिन्हें 'ग क्षेत्र' कहा गया है) के राज्य के कार्यालय को (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएँगे [नियम 3 (3)]।

4. केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

   केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय/विभाग और 'क क्षेत्र' में स्थित संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय के बीच पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में भेजने पड़ेंगे जिसे सरकार निर्धारित करेगी [नियम 4 (क) और (ख)]।

5. 'क क्षेत्र' में स्थित अन्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में भेजने जरूरी है [नियम 4 (ग)]।

6. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पत्रादि हिंदी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं (किन्ही मामलों में अनुवाद भी देने होंगे)। [नियम 4 (घ)]।

7. हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही दिए जाएँगे (नियम 5) कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन जब भी हिंदी में किया जाए या उसमें हिंदी में हस्ताक्षर किए जाएँ तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा [नियम 7(2)]।

8. संकल्प, अधिसूचना, सामान्य आदेश, लाइसेंस, परमिट, निविदा नोटिस रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं [नियम 6]।

9. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे [नियम 8 (1)]।

10. केंद्रीय सरकार का कर्मचारी, जिसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, किसी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तब ही कर सकता है जबकि वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो [नियम 8 (2)]। किसी कर्मचारी के बारे में उस समय यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय के

साथ उत्तीर्ण कर ली है अथवा प्राज्ञ परीक्षा, आदि उत्तीर्ण कर ली है अथवा वह यह घोषणा कर चुका है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है (नियम 10)।

11. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में मुद्रित या साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। सभी फार्म और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, सूचनापट्ट तथा स्टेशनरी आदि की मदें हिंदी और अंग्रेजी में होंगी (नियम 11)।

12. प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच-पड़ताल के उपाय करे। (नियम 12)।

2.8 सारांश

इस इकाई में आपने राजभाषा हिंदी के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। अब आप जानते हैं कि राजभाषा से तात्पर्य राज्य के तीन प्रमुख अंगों – विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका – की भाषा से है। संविधान में की गई राजभाषा संबंधी व्यवस्था के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई है।

हमारा देश बहुभाषी राष्ट्र है। बहुभाषी देश में राष्ट्रीय स्तर के कार्यों तक के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती है जो वहाँ की विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के संपर्क का माध्यम बन सके। हिंदी ही विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले व्यक्तियों का संपर्क सूत्र है। हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करने का एक आधार यह भी है।

इस इकाई में आपने पढ़ा कि आजादी के बाद संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसके बाद भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी उपबंध किए गए। लेकिन, हिंदी को राजभाषा के रूप में तुरंत लागू नहीं किया गया बल्कि इसके लिए समुचित तैयारी करने के विचार से पंद्रह वर्ष की अवधि दी गई और कहा गया कि संविधान के राजभाषा संबंधी उपबंध 15 वर्ष बाद यानी 1965 से लागू होंगे। इस बीच राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई और उनकी सिफारिशों और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली निर्माण, नियमों, विनियमों, आदेशों तथा सभी मैनुअलों और कार्यविधि साहित्य के अनुवाद, विधि कोश तथा सरकारी कर्मचारियों के हिंदी के प्रशिक्षण के संबंध में आदेश दिए। साथ ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की योजना तैयार करने के भी आदेश दिए गए। इस इकाई में आपने राजभाषा अधिनियम की जानकारी भी प्राप्त की है।

इसमें आपने यह भी पढ़ा है कि संसद के दोनों सदनों ने संकल्प पारित किया कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा गहन एवं व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा और आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं के विकास और प्रसार के लिए सरकार कदम उठाएगी। स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल के संबंध में भी इस संकल्प में चर्चा की गई।

इस इकाई में, आपने राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा नियम 1976 की जानकारी भी हासिल की और अब आपको पता चल गया है कि इन नियमों को पालन करना केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय तथा केंद्र सरकार के अधीन या नियंत्रण या स्वामित्व में आने वाले सभी निगमों, कंपनियों के कार्यालयों का दायित्व है।

आप यह भी जान गए हैं कि इन सभी कार्यालयों को हर तिमाही राजभाषा विभाग को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है जिसमें इन्हें अपने कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में ब्यौरा देना पड़ता है। इसमें क्या-क्या जानकारी देनी पड़ती है यह भी आपने इस इकाई में पढ़ा है। अब आप संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का भली–भाँति परिचय पा चुके हैं। इकाई में अनुच्छेद 343–351 में की गई राजभाषा संबंधी व्यवस्था के मूल अनुच्छेद एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 (सथासंशोधित) में की गई व्यवस्था का प्रत्येक धारा के अनुसार विवरण प्रस्तुत भी किया गया है, जबकि राजभाषा नियम और राजभाषा संकल्प का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इस इकाई में परिशिष्ट के रूप में राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 2011) और राजभाषा संकल्प, 1968 संबंधी विवरण को प्रस्तुत किया गया है।

2.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. राजभाषा से क्या तात्पर्य है? बहुभाषिक समाज में राजभाषा की स्थिति पर विचार कीजिए।
2. विधायिका और न्यायपालिका में राजभाषा की क्या स्थिति है? स्पष्ट कीजिए।
3. अनुच्छेद 343 में किए गए राजभाषा संबंधी उपबंधों का वर्णन कीजिए।
4. राज्यों की राजभाषाओं के विषय में संविधान में क्या व्यवस्था है?
5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है?
6. आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के नाम लिखिए।
7. राजभाषा आयोग द्वारा जो प्रतिवेदन जुलाई, 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था उनमें किन बातों पर जोर था?
8. राजभाषा अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई?

इकाई 2 का परिशिष्ट

राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 2011)

1. **राजभाषा नियम 1** में यह बताया गया है कि :

   i) इन नियमों का नाम 'राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976' है।

   ii) ये नियम तमिलनाडु के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होंगे।

   iii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख (अर्थात् 9.10.1987) से लागू होंगे।

2. **राजभाषा नियम 2 में** परिभाषाओं के अंतर्गत यह बताया गया है कि :

   i) 'अधिनियम' शब्द से तात्पर्य राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) होगा।

   ii) 'केंद्रीय सरकार के कार्यालय' के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय/विभाग/कार्यालय; केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कार्यालय और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले/नियंत्रणाधीन किसी निगम/कंपनी का कोई कार्यालय शामिल है।

   iii) 'कर्मचारी' से तात्पर्य केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति है।

   iv) 'अधिसूचित कार्यालय' से तात्पर्य राजभाषा नियम 10 के उपनियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालय है।

   v) 'हिंदी में प्रवीणता' से तात्पर्य राजभाषा नियम 9 में यथावर्णित हिंदी में प्रवीणता है।

   vi) 'क्षेत्र क' से तात्पर्य बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है।

   vii) 'क्षेत्र ख' से तात्पर्य गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है।

   viii) 'क्षेत्र ग' से तात्पर्य 'क्षेत्र क' और 'क्षेत्र ख' में यथा उल्लिखित राज्यों से इतर अन्य सभी राज्य हैं।

   ix) 'हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान' से तात्पर्य राजभाषा नियम 10 में यथावर्णित कार्यसाधक ज्ञान है।

3. **राजभाषा नियम 3 में** – केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से इतर राज्यों आदि के साथ पत्र–व्यवहार के बारे में यह बताया गया है कि :

   i) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से 'क्षेत्र क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति के साथ पत्र–व्यवहार असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होगा और यदि उनमें से किसी को कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

ii) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क्षेत्र ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्र सामान्य तौर पर हिंदी में भेजे जाएँगे और यदि इनमें से किसी को पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

iii) परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट श्रेणी या वर्ग के पत्र या उसके किसी कार्यालय को आशयित पत्र संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएँ और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्र उसी तरीके से भेजे जाएँगे।

iv) 'क्षेत्र ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्र हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

v) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क्षेत्र ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्र अंग्रेजी में भेजे जाएँगे।

vi) 'क्षेत्र ग' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क्षेत्र क' या 'क्षेत्र ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्र हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं, भले ही राजभाषा उपनियम (1) और (2) में कुछ भी कहा गया हो।

vii) परंतु हिंदी में पत्र ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे जुड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर निर्धारित करे।

4. **राजभाषा नियम 4 में** केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र–व्यवहार के बारे में यह बताया गया है कि :

i) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय/विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय/विभाग के बीच पत्र–व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है।

ii) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय/विभाग और 'क्षेत्र क' में स्थित संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र–व्यवहार हिंदी में होगा और ऐसे अनुपात में होगा जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्र–व्यवहार भेजने की सुविधाओं और उसे संबंधित प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर निर्धारित करे।

iii) 'क्षेत्र क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों, जो राजभाषा नियम 4 के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हो, के बीच पत्र–व्यवहार हिंदी में होगा।

iv) 'क्षेत्र क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और 'क्षेत्र ख' या 'क्षेत्र ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र–व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।

v) परंतु यह पत्र–व्यवहार हिंदी में ऐसे अनुपात में होगा, जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या

हिंदी में पत्र भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर निर्धारित करे।

vi) 'क्षेत्र ख' या 'क्षेत्र ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र–व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।

vii) परंतु यह पत्र–व्यवहार हिंदी में ऐसे अनुपात में होगा, जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्र भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर निर्धारित करे।

iii) परंतु जहाँ ऐसे पत्र 'क्षेत्र क' या 'क्षेत्र ख' के किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ, यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्र प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा। 'क्षेत्र ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा।

ix) परंतु यह और कि यदि कोई पत्र किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध करवाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. **राजभाषा नियम 5 में** हिंदी में प्राप्त पत्र के उत्तर के बारे में यह बताया गया है कि :

i) राजभाषा नियम 3 और 4 में भले ही कुछ भी कहा गया हो, हिंदी में प्राप्त पत्रों के जवाब केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएँगे।

6. **राजभाषा नियम 6 में** हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग के बारे में यह बताया गया है कि :

i) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

7. **राजभाषा नियम 7 में** आवेदन, अभ्यावेदन आदि के बारे में यह बताया गया है कि :

i) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।

ii) यदि कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

iii) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसे कर्मचारी तक पहुँचाना अपेक्षित हो, यथास्थिति, हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे बिना अनावश्यक देरी किए उस भाषा में दी जाएगी।

8. **राजभाषा नियम 8 में** केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी लिखे जाने के बारे में यह बताया गया है कि :

i) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

ii) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं।

iii) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

iv) केंद्रीय सरकार आदेश जारी कर ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, द्वारा टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

9. **राजभाषा नियम 9 में** हिंदी मे प्रवीणता के बारे में यह बताया गया है कि :

i) यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है।

अथवा

स्नातक परीक्षा में या स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था।

अथवा

यदि वह इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. **राजभाषा नियम 10 में** हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान के बारे में यह बताया गया है कि :

i) यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है।

अथवा

केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

अथवा

केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

अथवा

यदि वह इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

ii) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतः यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का

कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

iii) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

iv) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे। परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से राजभाषा उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह गया है।

11. **राजभाषा नियम 11 में** मैनुअल, संहिताओं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि के बारे में यह बताया गया है कि :

i) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में, यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

ii) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएँगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं प्रावधानों से छूट दे सकती है।

12. **राजभाषा नियम 12 में** अनुपालन के उत्तरदायित्व के बारे में यह बताया गया है कि :

i) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उप नियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करे।

ii) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक् अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

13. **प्ररूप (नियम 9 और 10 देखिए)** मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित के आधार पर' जो लागू न हो, उसे काट दीजिए। 'मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है/मैंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :

————————————

हस्ताक्षर

तारीखः ————————————

राजभाषा संकल्प, 1968

(संसद के दोनों सदनों द्वारा 18 जनवरी 1968 को यथापारित)

संकल्प

'जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिएँ;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ–साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञानक संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि–भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदीभाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदीभाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिएँ ;

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए;

यह सभा संकल्प करती है –

क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के लिए केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा; और,

ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।'